सत्यमेव जयते

**न्यायालय**

# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

## गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2019/00020 दर्ज तिथिः—15.03.2019

1. बाबुराम पुत्र बरजांगा
2. राजूराम पुत्र बरजांगा
3. गवरी पत्नी बरजांगा

जाति विश्नोई निवासी गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. भाखरा पुत्र हनुमानराम
3. वरीगा पुत्र रतना

जाति विश्नोई निवासी गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री हरीराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः— श्री जगदीश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

**—:निर्णयः—**

निर्णय तिथिः—29.09.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा—88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से हैः—
   - कि वादीगण के पूर्वज वरजांगाराम की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 62 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।
   - कि वक्त बंदोबस्त से पूर्व, पैमाईश तथा आदिनांक वादीगण के पूर्वज वरजांगाराम व वर्तमान में वारिसान खातेदार होकर काबिज काश्त हैं। वक्त बंदोबस्त की पैमाईश मुतनाजा आराजी का पर्चा लगान जेता पुत्र मोती व वरजीरा पुत्र रतना के नाम जारी कर दिया गया। जबकि वरजीरा पुत्र रतना नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। असल में मुतनाजा आराजी में वरजीरा उर्फ

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:55 IST
Reason: SelfAttested

विरनिगा के स्थान पर वरजांगा पुत्र सुजा का नाम दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना अपेक्षित था।

- कि वादी के परिवार का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

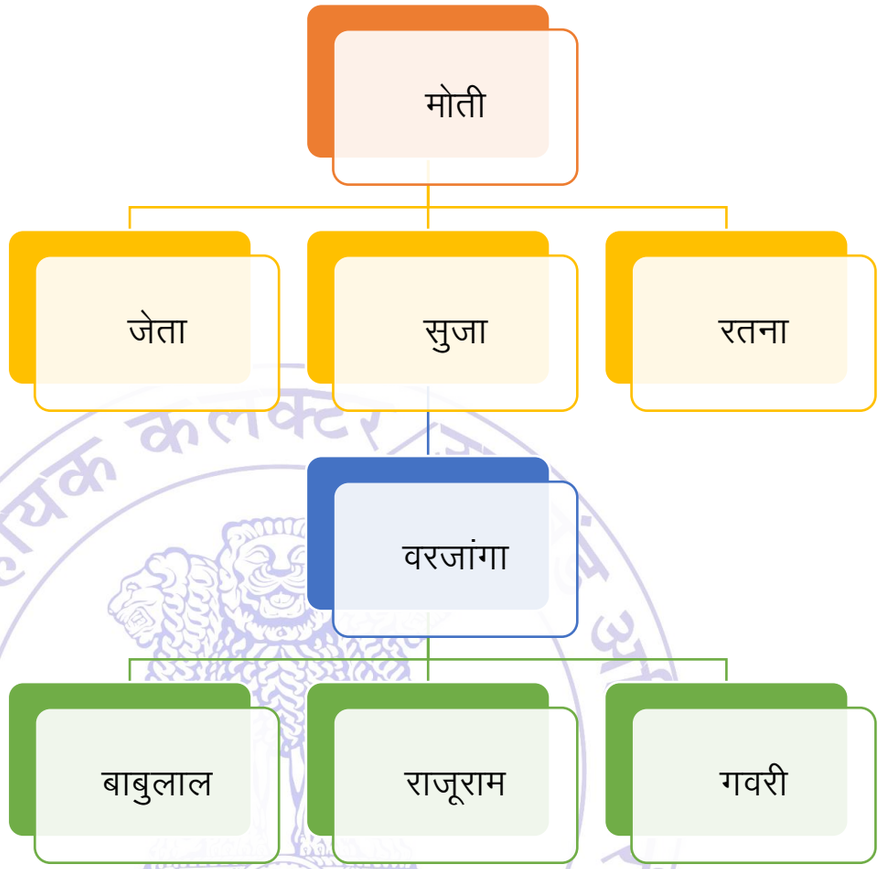


- कि प्रकरण में नामांतरकरण संख्या 33 दिनांक 16.12.1996 के जरिये मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 62 में 1/2 हिस्सा खातेदारों द्वारा समर्पण बताया जाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त खाते में वरिंगा पुत्र रतना नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना अस्तित्व के व्यक्ति वरिंगा पुत्र रतना द्वारा समर्पण किया जाना एक वैज्ञानिक रूप से संभव प्रतीत नहीं होता है। तहसील कार्यालय में उक्त समर्पण आदेश की पत्रावली संधारित नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी व वादी के पूर्वजों द्वारा कोई समर्पण नहीं किया गया है। तहसील कार्मिकों द्वारा जबरन अवैध रूप से वादी की खातेदारी आराजी राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज कर दी गई। इस कारण वादी को घोषणा का दावा व धारा—91 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी।
- अतः उक्त आधारों पर मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 62 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी की भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:55 IST
Reason: SelfAttested

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया

- कि नामांतरकरण संख्या 03 दिनांक 11.05.1959 के अनुसार मोती पुत्र गंगा की फौतगी का नामांतरकरण दो पुत्रों खेता व सुजा के नाम दर्ज किया गया। इस नामांतरकरण में रतना का कोई उल्लेख नहीं है।
- खातेदारों द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करने पर ही भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज की गई है। उक्त समर्पित भूमि खेता वल्द मोती व वरिंगा पुत्र रतना द्वारा वर्ष 1996 में राज्य सरकार को समर्पित की गई है।
- कि उक्त समर्पित भूमि की तरमीम के विवाद सुलझाने के लिये दिनांक 28.09.2004 को तत्कालीन तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा समझाईश की गई। उक्त समझाईश के मौका पर्चा के अनुसार खातेदार जेता को सभी भाईयों ने चर्चा कर 16000 रूपये अदा किये तथा इस पर जेता ने अपनी मर्जी से स्कुल के नाम जमीन दी। उक्त मौका रिपोर्ट पर वादीगण के पूर्वज के भी हस्ताक्षर उपलब्ध हैं।
- उक्त आराजी पर वादीगण का कोई कब्जा नही होने व वादीगण को कोई खातेदारी अधिकार नही मिलने के कारण दावा वादी काबिल–ए–खारिज है।

3. प्रकरण में तनकियात कायम किए गए। प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के अवलोकन पश्चात उभयपक्षकारों के मध्य विवाद के मुख्य बिन्दु निर्धारित करने हेतु निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः–

1. आया वादीगण वादवर्णित आराजी खसरा संख्या 62 मौजा गोदारों की ढाणी पर अंकित राजस्व इन्द्राज वरजागा वल्द सुजा व वरींगा वल्द रतना को दुरूस्त करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

.....वादीगण

2. आया वादवर्णित आराजी में से तत्कालीन खातेदार द्वारा विधिवत राज्य सरकार को समर्पण किये जाने के पश्चात वादीगण को समर्पित सरकारी जमीन पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई हक नहीं है।

.....प्रतिवादी

3. आया मुतनाजा आराजी पर असल खातेदार मोती पुत्र गंगा के अन्य वारिश होने तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सजरा गलत होने के कारण दावा वादी काबिल–ए–खारिज है।

.....प्रतिवादी संख्या 02

4. अन्य दादरसी

.....उभय–पक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए–

| संवत/विवरण | प्रदर्श |
|---|---|
| नक्शा मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15 | प्रदर्श–पी01 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:55 IST
Reason: SelfAttested

| | |
|---|---|
| जमाबंदी मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15 | प्रदर्श—पी02 |
| नक्शा ट्रेस मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 62 व 62/3 | प्रदर्श—पी03 |
| मिसल बंदोबस्त मौजा गांधव कला खसरा संख्या 268 | प्रदर्श—पी04 |
| मिसल बंदोबस्त मौजा गांधव कला खसरा संख्या 15 व 62 | प्रदर्श—पी05 |
| जमाबंदी संवत 2073—73 मौजा गांधव कला खसरा संख्या 62 व 62/3 | प्रदर्श—पी06 |
| खतौनी बंदोबस्त संवत 2012—2031 मौजा गांधव कला खसरा संख्या 15 व 62 | प्रदर्श—पी07 |
| जमाबंदी संवत 2013—2016 मौजा गांधव कला खसरा संख्या 15 व 62 | प्रदर्श—पी08 |
| जमाबंदी संवत 2022—2025 मौजा गांधव कला खसरा संख्या 15 व 62 | प्रदर्श—पी09 |
| जमाबंदी संवत 2030—2033 मौजा गांधव कला खसरा संख्या 15 व 62 | प्रदर्श—पी010 |
| जमाबंदी संवत 2037—2040 मौजा गांधव कला खसरा संख्या 15 व 62 | प्रदर्श—पी011 |
| जमाबंदी संवत 2042—2045 मौजा गांधव कला खसरा संख्या 15 व 62 | प्रदर्श—पी012 |
| जमाबंदी संवत 2042—2045 मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15 व 62 | प्रदर्श—पी013 |
| जमाबंदी संवत 2050—2055 मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15 व 62 | प्रदर्श—पी014 |
| जमाबंदी संवत 2046—2049 मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15 व 62 | प्रदर्श—पी015 |
| जमाबंदी संवत 2054—2057 मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15 व 62 | प्रदर्श—पी016 |
| जमाबंदी संवत 2054—2057 मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15 व 62 | प्रदर्श—पी017 |
| जमाबंदी संवत 2081 मौजा गोदारो की ढाणी खसरा संख्या 15 व 62 | प्रदर्श—पी018 |
| जमाबंदी संवत 2037—2040 मौजा गांधव कला खसरा संख्या 15 व 62 | प्रदर्श—पी0 |
| अखबार की प्रति जिसमें प्रतिवादी वरीगा पुत्र रतना का नाम छाया किया गया | प्रदर्श—पी019 |
| वरीगा पुत्र रतना को भेजा गया सम्मन | प्रदर्श—पी020 |
| भू.अ.नि. द्वारा तहसीलदार को प्रेषित मौका फर्द का पत्र | प्रदर्श—पी021 |
| मौका फर्द मौजा गोदारों की ढाणी खसरा संख्या 15, 62 व 62/3 | प्रदर्श—पी022 |
| खसरा संख्या 15, 62 व 62/3 की मौका फर्द का हाजा न्यायालय को प्रेषित पत्र | प्रदर्श—पी023 |

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाहों के साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किए—

| नाम | जाति | निवासी | गवाह |
|---|---|---|---|
| बाबुलाल पुत्र बरजांगाराम | विश्नोई | गोदारो की ढाणी | पी0डब्ल्यू—1 |
| पीरसिंह पुत्र धर्मसिंह | रावणा राजपुत | गांधव कला | पी0डब्ल्यू—2 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:55 IST
Reason: SelfAttested

| | | | |
|---|---|---|---|
| जालाराम पुत्र रूपाराम | विश्नोई | गांधव कला | पी0डब्ल्यू—3 |
| लाखाराम पुत्र अर्जुनराम | विश्नोई | गोदारो की ढाणी | पी0डब्ल्यू—4 |

6. प्रकरण में बाबुलाल पुत्र बरजांगाराम पी0डब्ल्यू—01, पीरसिंह पुत्र धर्मसिंह पी0डब्ल्यू—02, जालाराम पुत्र रूपाराम पी0डब्ल्यू—03, लाखाराम पुत्र अर्जुनराम पी0डब्ल्यू—04 द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में निम्न प्रकार कथन किये—
    - कि वादी के पड़दादा मोती के तीन बेटे थे। जो क्रमवार जेता, सुजा व रतना थे। वक्त सेटलमेंट खसरा संख्या 11, 10, 268, 15, 62 रकबा क्रमशः 19—14 बीघा, 0—08 बीघा, 14—01 बीघा, 21—00 बीघा, 30—14 बीघा आए हुए थे। मोती वल्द गगा की फौतगी का नामान्तरणकरण संख्या 3 उसके पुत्र जैता व पौत्र वादीगण के पिता बरजांगा के नाम जारी हुआ। खसरा संख्या 15 व 62 में नामान्तरण संख्या 48 में जेता पुत्र मोती व बरसिंगा पुत्र रतना के नाम पारित किया गया जबकि रतना कुंवारा लाऔलाद फौत हो चुका था व तत्श्चात जैता भी फौत हो गया। अतः बरसिंगा वल्द रतना के स्थान पर बरजांगा पुत्र सुजा का नामान्तरणकरण पारित किया जाना था।
    - कि वरसिंगा के नाम नामान्तरणकरण पारित करने के बाद जमाबन्दियों में वरसिंगा व उसके संवत 2037 से 2040 की जमाबंदी में वरिंगा दर्ज किया गया। वीरसिंगा, वरसिंगा, वरिंगा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है सिर्फ बरजांगा पुत्र सुजा है। राजस्व कार्मिकों की भूल से नामान्तरणकरण संख्या 48 में बरजांगा पुत्र सुजा के स्थान पर बरजांगा पुत्र रतना दर्ज कर दिया। जबकि रतना पुत्र मोती सेटलमेंट से पूर्व फौत हो चुका था।
    - कि वीरसिंगा, वरिंगा, वरसिंगा सिर्फ लेखनीय त्रुटि है। वरिंगा पुत्र रतना एवं बरजांगा पुत्र सुजा एक ही व्यक्ति है। जिसे बरजांगा पुत्र सुजा किया जाना है।
    - इस प्रकार वादीगण मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 15, 62, 62/3 कुल रकबा 36—07 बिस्वा मौजा गोदारो की ढाणी की भूमि में वादीगण के पिता की खातेदारी एवं खसरा संख्या 62 व 62/3 में यथावत प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी एवं खसरा संख्या 15, 62 व 62/3 मौजा गोदारो की ढाणी के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वरिंगा पुत्र रतना की प्रविष्टि हटाई जावे।

7. प्रकरण में बाबुलाल पुत्र बरजांगाराम पी0डब्ल्यू—01 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मैं आठवी पास हूं। मेरी उम्र 58 वर्ष है। रतनाराम कुंवारेपन में फौत हो गया था। सुजाराम की पत्नी का नाम माडूदेवी है। वरसींगा नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं तो उसकी माता नही है। विवादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से वरींगा पुत्र रतना के नाम दर्ज थी। वक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिनांक तक वरींगा पुत्र रतना नाम आ रहा है अज खुद कहा कि कही नाम वरींगा कही वरसींगा है तो कही वरजींगा है। उक्त विवादग्रस्त आराजी मोती पुत्र गंगा के नाम थी। शपथ पत्र में पांच पद है। शपथ पत्र में शपथ किसके समक्ष ली? इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता। यह कहना सही है कि शपथ पत्र में किसी भी वकील की पहचान नहीं दी हुई है। वाद पत्र कितने पृष्ठों में है मुझे याद नहीं। वाद पत्र किस दिनांक व सन को पेश किया मुझे याद नहीं। यह कहना गलत है कि वाद पत्र वकील साहब ने पेश किया हो अज खुद कहा कि वकील साहब के माध्यम से मैंने दावा पेश किया। मेरी रहवासी ढाणी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:55 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 11 में है। 62 नंबर खसरा 32 बीघा व कुछ बिस्वा का है। वर्तमान में 62 नंबर खसरा 32 बीघा का नहीं है इसमें कुछ बेच दिया काट दिया गया। इसमें से मेरे दादा ने 7 बीघा जमीन गोचर करवाई इसके अलावा जो भी काटा है वो गलत काटा है। और किस किस में काटा गया मुझे पता नहीं। यह कहना गलत है कि 62 नंबर खसरा में से 15 बीघा 7 बिस्वा जमीन राज्य सरकार के पक्ष में काटी गई हो। अज खुद कहा कि 7 बीघा जमीन मेरे दादा द्वारा कटाई गई। जो जमीन मेरे दादा ने कटाई थी उस जमीन पर वर्तमान में जांभोजी का मंदिर व एक स्कूल का मैदान बना हुआ है। वरींगा पुत्र रतना नाम का कोई व्यक्ति था ही नही तो समर्पण कौन करेगा। गोदारों की ढाणी में कोई हॉस्पीटल है भी नहीं। खसरा संख्या 62/4 में कौन कौन खातेदार है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। 62/2 में कौन—कौन खातेदार है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। खसरा संख्या 62 के चार बटे पड़े 62/2, 62/3, 62/4 एव 62। 62/3 मे कौन खातेदार है मुझे पता नहीं। खसरा संख्या 62 संयुक्त खातेदारी का है जिसमें खातेदार वरींगा रतना, बाबुलाल, राजूराम पिता वरजांगाराम, गवरी पत्नी वरजांगाराम है। मोती के चार लड़के थे सदाराम, जेताराम, सुजाराम, रतनाराम। रतना को फौत हुए कितन साल हुए है मुझे याद नहीं है उस समय मेरा जन्म नही हुआ था। रतना के कोई पत्नी नही थी तो कोई पुत्र नही था। वरींगा, रतना का पुत्र नही था, रतना कुंवारा था। दादा—परदादा पूर्वज बात करते थे कि रतना की शादी नहीं हुई थी। मैने परदादा को देखा भी नही है। मेरे परदादे का नाम मुझे ध्यान है। मैंने परदादे के चार पुत्र थे। रतना फौत के पुत्र वरीगां का नामान्तरण खोला गया था तत्कालीन समय में मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। इसलिए फौजदारी कार्यवाही नही की गई। हम समझने शुरू हुए तब वरींगा,वरसींगा पुत्र रतना की जानकारी हुई। मैं बीस साल का था तब समझना शुरू हुआ तब पता चला कि मेरी जमीन में नाम गलत है। समझने के बाद मेरे द्वारा पुलिस में कोई फौजदारी कार्यवाही नही की गई। वरींगा पुत्र रतना ने कौनसे सन में राज्य सरकार को जमीन समर्पण की है। मुझे जानकारी नहीं। अज खुद कहा कि वरींगा नाम का व्यक्ति था ही नहीं। वाद पत्र में मैने क्या क्या कागज पेश किए है मुझे याद नहीं है। वाद पत्र में जो दस्तावेज पेश किए है वो वकील साहब ने बाड़मेर से लाकर पेश किए हो इस बात की मुझे जानकारी नही है। 62 नं. खसरे में एक नाडी बनी हुई हो तो मैने नहीं देखी। मेरे खसरे में कोई नाडी नही है। राउप्रावि गोदारों की ढाणी स्कूल बनी हुई है वो कौनसे खसरे में बनी हुई है मुझे जानकारी नहीं है हमारे सेढ़ा सेढ़ बनी हुई है जिसकी चारदीवारी 20 फिट हमारे खसरे में आती है। मेरे दादे ने राज्य सरकार के पक्ष में किस सन में जमीन समर्पण करवाई मुझे जानकारी नहीं है। 62 नं. खसरा में से मेरे दादा ने 15 बीघा 7 बिस्वा समर्पण करवाई हो मुझे जानकारी नही है। 7 बीघा समर्पण करवाई वो मुझे ध्यान है। यह दावा नाम शुद्धिकरण वरींगा रतना हटाने का किया है।

8. प्रकरण में पीरसिंह पुत्र धर्मसिंह पी0डब्ल्यू—02 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मैं पढ़ा लिखा हु हस्ताक्षर करना जानता हूं। दावा कब किया मुझे याद नहीं है। दावा किसलिए किया मुझे पता है। जमीन के बारे में बटंवाडे के बारे में किया है। दुसरे के बारे में मुझे कोई पता नही है। विवादग्रस्त आराजी पर सरकारी बिल्डिंग बनी हुई नही है। अज खुद कहा कि वादीगण की ढाणिया बनी हुई है। हमारे गांव में कोई हॉस्पीटल बना हुआ नही है। अज खुद कहा कि एक कमरा बना हुआ है जहां एक नर्स रहती है। यह एक कमरा बना हुआ है जो गांव की आबादी में बना

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:55 IST
Reason: SelfAttested

हुआ है। यह जो एक कमरा बना हुआ है जो सरकारी जमीन में बना हुआ है यह बात सही है। अज खुद कहा कि आबादी में बना हुआ है जो पंचायत के अंडर में है। उक्त सरकारी कमरा कौनसे खसरे में बना हुआ है खसरा संख्या याद नहीं है। आंगनवाड़ी बनी हुई है। आंगनवाड़ी भी आबादी भूमि में बनी हुई है। गांधव गावं में नाड़ी है। यह कहना गलत है कि गांधव में नाडी सरकारी भूमि में बनी हो अज खुद कहा कि गोचर भूमि में बनी हुई है। 32 बीघा वाले खसरे में से 15 बीघा 07 बिस्वा जमीन सरकार को सौंपी हो तो मुझे ध्यान नहीं। यह दावा खसरा संख्या 15 और 62 का है। 62 नंबर खसरा 30—35—40 बीघा का है। यह कहना गलत है कि हॉस्पीटल एवं आंगनवाड़ी खेत खसरा 62 में बना हुआ है। अज खुद कहा कि आबादी भूमि में बना हुआ है। वादी बाबूराम व मेरे खेत के बीच 8—10 बीघा की दूरी पर है। वादी बाबूराम ने इस वाद से पहले कभी दावा नहीं किया है क्योंकि पहले कोई विवाद ही नही था। इसकी जमीन थी और यह ही काश्त करता था। इस जमीन का विवाद वादी बाबूराम के धड़े का भाई ने विवाद उठाया की इस जमीन पर हमारा भी हक है इसलिए यह विवाद खड़ा हुआ। वादी बाबूलाल ने उक्त दावा भाईयों से बंटवाड़ा का दावा लगाया है यह कहना सही है।

9. प्रकरण में जालाराम पुत्र रूपाराम पी0डब्ल्यू—03 दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरा गांव गांधव कला, गोदारों की ढाणी है। मैं कोर्ट में इसलिए आया हु कि वरींगा का नाम हटाने और बरजांगा के परिवार का नाम चढ़ाने हेतु दावे में बयान देने आया हुं। इसको लेकर पहले कई बार पंचायती हुई। यह पंचायती कब हुई मुझे याद नहीं। उक्त पंचायती 30 साल पहले या बाद में हुई हो मुझे याद नहीं। यह कहना सही है कि वरसींगा पुत्र रतना ने अपने हिस्से में से 15 बीघा 07 बिस्वा जमीन राज्य सरकार को गोचर करवाई। अज खुद कहा कि वरसींगा ने न करवाकर जेताराम ने करवाई। 62 नंबर खसरे में से गोचर करवाई जमीन पर एक जांभोजी का मंदिर व एक हॉस्पीटल का कमरा बना हुआ है। पुनः परीक्षण— रतना पुत्र मोती की शादी नही हुई और उनके कोई बच्चे नही थे इनके चंवरी का धुंआ ही नही लगा था। डोकरे के नाम का म्युटेशन भरा गया तब हमे जानकारी हुई तब हमे जानकारी हुई। म्युटेशन कब भरा गया मुझे याद नहीं है। म्युटेशन 50 साल पहले भरा हो तो मुझे ध्यान नहीं।

10. प्रकरण में लाखाराम पुत्र अर्जुनराम पी0डब्ल्यू—04 ने दौराने प्रतिपरीक्षण अभिकथन किए कि मेरी उम्र 85 वर्ष है। यह वाद खसरा संख्या 15 और 65 का चल रहा है। 62 नंबर खसरा कितने बीघा का है मुझे पता नही क्योंकि मैं अनपढ़ हूं। इस शपथ पत्र में क्या लिखा हुआ है मुझे ध्यान नही है और यह शपथ पत्र पढ़कर भी नही सुनाया गया।

11. प्रकरण में तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप किसी प्रकार के कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किये।

12. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए वादीगण मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 62 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा मौजा गोदारों की ढाणी पटवार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:55 IST
Reason: SelfAttested

हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी की भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादीगण की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

13. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस कारण प्रकरण में तनकी संख्या 01—03 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01—03 निम्न प्रकार हैंः—

    1. आया वादीगण वादवर्णित आराजी खसरा संख्या 62 मौजा गोदारों की ढाणी पर असल खातेदार मोती पुत्र गंगा के जायज व एकमात्र वारिश होने के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

    .....वादीगण

    2. आया वादीगण वादवर्णित आराजी खसरा संख्या 62 मौजा गोदारों की ढाणी पर अंकित राजस्व इन्द्राज वरजागा वल्द सुजा व वरींगा वल्द रतना को दुरूस्त करवाकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

    .....वादीगण

    3. आया वादवर्णित आराजी में से तत्कालीन खातेदार द्वारा विधिवत राज्य सरकार को समर्पण किये जाने के पश्चात वादीगण को समर्पित सरकारी जमीन पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई हक नहीं है।

    .....प्रतिवादी

14. प्रकरण में तनकी संख्या 01—03 का विश्लेषण अपेक्षित है। प्रकरण में वादी का अभिकथन है कि प्रकरण में नामांतरकरण संख्या 33 दिनांक 16.12.1996 के जरिये मुतनाजा आराजी खसरा संख्या 62 में 1/2 हिस्सा खातेदारों द्वारा समर्पण बताया जाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि उक्त खाते में वरिंगा पुत्र रतना नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना अस्तित्व के व्यक्ति वरिंगा पुत्र रतना द्वारा समर्पण किया जाना एक वैज्ञानिक रूप से संभव प्रतीत नहीं होता है। तहसील कार्यालय में उक्त समर्पण आदेश की पत्रावली संधारित नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी व वादी के पूर्वजों द्वारा कोई समर्पण नहीं किया गया है। तहसील कार्मिकों द्वारा जबरन अवैध रूप से वादी की खातेदारी आराजी राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज कर दी गई। इसके खण्डन में प्रतिवादी का अभिकथन है कि खातेदारों द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण करने पर ही भूमि राज्य सरकार के खाते में दर्ज की गई है। उक्त समर्पित भूमि खेता वल्द मोती व वरिंगा पुत्र रतना द्वारा वर्ष 1996 में राज्य सरकार को समर्पित की गई है।

15. इस प्रकार प्रकरण में वादी का अभिकथन है कि रतना नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो उस स्थिति में रतना द्वारा समर्पण नहीं किया गया है। इस प्रकार समर्पण का नामांतरकरण गलत दर्ज किया गया है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मोती के दो वारिसान जेता व सुजा हैं। प्रकरण में आराजी खसरा संख्या 62 रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का गांधव कला तहसील गुड़ामालानी में 1/2 हिस्से में जेता पुत्र मोती व 1/2 हिस्से में सुजा पुत्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:55 IST
Reason: SelfAttested

मोती का हिस्सा निहित है। प्रकरण में एक दफा मान भी लिया जाए कि सुजा पुत्र मोती व रतना ने कोई समर्पण नहीं किया है। लेकिन प्रकरण में नामांतरकरण संख्या 33 तथा तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट दिनांक 28.09.2004 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि जेता वल्द मोती द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा समर्पित किया गया है। इस स्थिति में जेता पुत्र मोती के 1/2 हिस्से की 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि समर्पित की गई है। प्रकरण में समर्पण के नामांतरकरण संख्या 33 दिनांक 16.12.1996 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि ही राज्य सरकार के खाते में दर्ज की गई है। वादी के हिस्से की 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि वर्तमान में वादी के खातेदारी में ही दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार वादी अपने हिस्से की आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार वादी अपने दावे का आधार साबित करने में असफल रहा है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 व 02 वादी के विरूद्ध स्वीकार की जाती है तथा तनकी संख्या 03 प्रतिवादी के पक्ष में स्वीकार की जाती है। अतः

आदेश है कि

**वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क खारिज किया जाता है।**

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 29.09.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:55 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

**न्यायालय**

# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

## गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2019 / 00020 दर्ज तिथिः—15.03.2019

1. बाबुराम पुत्र बरजांगा
2. राजूराम पुत्र बरजांगा
3. गवरी पत्नी बरजांगा
   जाति विश्नोई निवासी गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. भाखरा पुत्र हनुमानराम
3. वरीगा पुत्र रतना
   जाति विश्नोई निवासी गांधव कला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री हरीराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः— श्री जगदीश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

**—:पर्चा डिक्रीः—**

**वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क खारिज किया जाता है।**

यह डिक्री मेरे द्वारा आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.11.02 14:00:55 IST
Reason: SelfAttested